राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 23.07.2020

अधिसूचना

राज्य में NABL मान्यता प्राप्त (accreditated) एवं ICMR से COVID-19 जांच हेतु अनुमोदित निजी चिकित्सालयों/निजी प्रयोगशालाओं में कोविड–19 की जांच के संबंध में पूर्व में जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20.06.2020 के बिन्दु संख्या दो में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

कोविड–19 की जांच हेतु मरीजों के सैम्पल NABL मान्यता प्राप्त एवं ICMR से कोविड–19 की जांच हेतु अनुमोदित निजी चिकित्सालयों/निजी प्रयोगशालाओं की ओपीडी में भी लिये जा सकेंगे। इस हेतु सभी निजी चिकित्सालयों/निजी प्रयोगशालाओं को पृथक से Sampling Room की व्यवस्था करनी होगी।

ऐसे निजी अस्पताल जो कोविड–19 जांच हेतु NABL मान्यता प्राप्त एवं ICMR से अनुमोदित है, उनमें जांच/उपचार हेतु कोविड–19 के Symptomatic मरीज के आने पर उसका सैम्पल IPD में ही लिया जावे। Asymptomatic व्यक्ति का सैम्पल ओ.पी.डी. में लिया जाकर उसे Home Isolation हेतु निर्देशित किया जावे एवं इसकी सूचना संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दी जावे।

NABL मान्यता प्राप्त एवं ICMR से COVID-19 जांच हेतु अनुमोदित निजी जांच प्रयोगशालाओं (निजी अस्पतालों के अतिरिक्त) में कोविड–19 की जांच हेतु आने वाले मरीजों की सम्पूर्ण सूचना ऐसी निजी प्रयोगशालाओं के प्रबन्धन द्वारा संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को तत्काल दी जावे ताकि इन्हें Home Isolation में रखा जा सके।

उक्त आदेश की कडाई से पालना सुनिश्चित की जावे। उक्त आदेश की अवहेलना की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 की धारा 5 के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
3. वरिष्ठ उप सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
6. निजी सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी, जयपुर।
7. समस्त जिला कलक्टर, राज. को प्रेषित कर निवेदन है कि उनके जिले में स्थित निजी NABL accreditated एवं आईसीएमआर से कोविड–19 जांच हेतु अनुमोदित निजी जांच प्रयोगशालाओं पर निरन्तर निगरानी रखते हुए उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।
8. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग।
9. समस्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
10. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन राज.
11. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, राज.
12. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज. को प्रेषित कर लेख है कि उनके जिले में स्थित निजी NABL accreditated एवं आईसीएमआर से कोविड–19 जांच हेतु अनुमोदित निजी जांच प्रयोगशालाओं पर निरन्तर निगरानी रखते हुए उक्त निर्देशों की कडाई से पालना सुनिश्चित करावें।
13. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी मेडिकल कालेज, जयपुर/जेएनयू मेडिकल कॉलेज, जयपुर
14. प्रबंधक, संतोकबा दुर्लभजी मेमोरियल अस्पताल, जयपुर/डा. बी. लाल क्लिनिकल लैबोरट्री, प्रा. लि., जयपुर।

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव